पुराने कर्जों एवं निवेशों का विस्तार कर सकती है, भले ही हर छोटा बैंक अपनी जमा का थोड़ा-सा भाग ही उधार देता हो।"[1]

वास्तव में, बैंक का कोई ऐसा समान-घर नहीं है जहां कोई अपने करेंसी नोट जमा कर दे और जब चाहे वही नोट वापिस मांगे। बैंक अपने अनुभव के आधार पर जानता है कि सभी जमाकर्त्ता अपनी-अपनी मुद्रा को एक साथ अपने खातों से नहीं निकालते। कुछ निकालते हैं और कुछ उसी दिन जमा करवाते हैं। इसलिए दैनिक लेन-देन के लिए कुछ थोड़ी-सी नकदी रिज़र्व में रखकर, बैंक अतिरिक्त आरक्षितियों (reserves) के आधार पर कर्ज दे सकते है। जब बैंक कर्जा देता तो वह ग्राहक के नाम खाता खोल देता है। अपने अनुभव के आधार पर बैंक जानता है कि ग्राहक चैकों द्वारा पैसा निकालेगा जिन्हें उसके ऋण-दाता उसी बैंक में अथवा किसी अन्य बैंक में, जहां उसका खाता होगा, जमा करा देंगे। इस तरह सभी चैकों का निपटारा समाशोधन गृह करता है। अन्य बैंक भी यही तरीका अपनाते हैं। इस प्रकार थोड़ी-सी नकदी रिज़र्व में रखकर तथा शेष राशि उधार देकर बैंक साख या जमाओं का निर्माण कर सकते हैं।

जब कोई बैंक कर्जा मंजूर कर देता है तो वह सक्रिय रूप से अपने विरुद्ध तथा उधार देने वाले के हक में दावे (claim) का निर्माण करता है। "अपनी पुस्तकों में दर्ज जमा के बदले बैंक अपने ग्राहकों से जो दावे प्राप्त करता है, वे उसकी परिसम्पत्तियां हैं। ओवरड्राफ्ट और कर्जे, भुनाई गई हुंडियां, निवेश तथा नकदी किसी बैंक की मानक परिसम्पत्तियां होती हैं।"

बैंक किसी जमानत के आधार पर अपने ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करता है। वह ओवरड्राफ्ट की राशि ग्राहक के चालू खाते में जमा कर देता है और स्वीकृत ओवरड्राफ्ट की राशि की सीमा तक ग्राहक को चैक द्वारा पैसा निकालने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार, बैंक जमा का निर्माण करता है।

जब बैंक किसी विनिमय-पत्र (bill of exchange) का भुगतान करता है, तो वह वास्तव में 90 दिन या उससे कम अल्पावधि के लिए ग्राहक से बिल खरीद लेता है। बिल की राशि ग्राहक के खाते में जमा हो जाती है जो उसे चैक द्वारा निकालता है या फिर बैंक अपना ही चैक काट कर बिल का भुगतान कर देता है। दोनों ही स्थितियों में बैंक, कटौती (discount) की राशि (ब्याज) छोड़ कर बिल की राशि के बराबर जमा का निर्माण करता है।

कमर्शियल बैंक, सरकारी बांडों और प्रतिभूतियों को खरीदकर भी जमा का निर्माण करता है। बैंक बांड का भुगतान करने के लिए केन्द्रीय बैंक के नाम अपना चैक काट देता है। यदि बैंक बांड को स्टॉक एक्सचेन्ज से खरीदता है, तो विक्रेता के खाते में बांड की राशि जमा कर देता है, बशर्ते कि विक्रेता उस बैंक का ग्राहक हो। अन्यथा बैंक अपना चेक काट देता है जो किसी अन्य बैंक में जमा करा दिया जाता है। जो भी हो, या तो इसी बैंक में या किसी अन्य बैंक में जमा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की सब स्थितियों में सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली में देयताएं तथा परिसम्पत्तियां बढ़ जाती हैं। इस प्रकार बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कर्जे, जमा का निर्माण करते हैं। इसी अर्थ में कहा जाता है कि कमर्शियल बैंक साख का निर्माण करते हैं।

2. साख निर्माण की प्रक्रिया
(PROCESS OF CREDIT CREATION)

अब साख निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। जैसाकि ऊपर बताया गया है बैंकों की साख-निर्माण की शक्ति इस तत्त्व पर निर्भर करती है कि बैंकों को नकदी से जमा के अनुपात की केवल थोड़ी प्रतिशतता चाहिए। यदि बैंक नकदी-जमा अनुपात (cash-deposit ratio) शत-प्रतिशत रखते हैं, तो कोई साख निर्माण नहीं होगा। आधुनिक बैंक शत-प्रतिशत नकदी रिज़र्व नहीं रखते। उन्हें कानूनी तौर से अपनी जमा की स्थिर प्रतिशतता नकदी में रखनी पड़ती है, जैसे 10, 15 या 20 प्रतिशत। बाकी की राशि वे उधार देते हैं या निवेश करते हैं, जिसे अतिरिक्त रिज़र्व (excess reserves) कहते हैं। एक बैंक अपने अतिरिक्त रिज़र्व के बराबर उधार दे सकता है। परन्तु समस्त बैंकिंग प्रणाली अपने मूल अतिरिक्त रिज़र्व के गुणज (multiple) तक ही साख (या जमा) का निर्माण कर सकती है अथवा उधार दे सकती है। इसे **जमा गुणक** (deposit multiplier) कहते हैं। यह आवश्यक रिज़र्व अनुपात (required reserve ratio) पर निर्भर करता है जो साख निर्माण का आधार है।

प्रतिकात्मक रूप में, आवश्यक रिज़र्व अनुपात,

---

1. Paul A. Samuelson, *Economics*, 10/e, 1976.